हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31मई,1999

संख्या सा.का.नि.53/ह.अ.15/1979/धा.4,5 तथा 16/99-हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा-सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम 15) की धारा 4 तथा 5 तथा धारा 16 की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सम्बद्ध महाविद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) नियम 1999 कहे जा सकते हैं।

(2) ये मई,1998, के 11वें दिन से लागू हुए समझे जायेंगे।

परिभाषायें।

2. इन नियमों में जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सहायता प्राप्त स्वीकृत पद" से अभिप्राय है, पद जिसके लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, द्वारा सहायता अनुदान अनुज्ञात है;

(ख) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम,1979(1979 का अधिनियम 15);

(iii) कोई अन्य उपलब्धियां जो सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकार द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की जाए; तथा

(ञ) "पेंशन" से अभिप्राय है, ऐसी राशि जो कोई कर्मचारी अधिवार्षिता की आयु पूरी करने पर उपदान सहित पेंशन के रूप में प्राप्त करे;

(त्र) "अर्हक सेवा" से अभिप्राय है, ऐसी सेवा जो इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक बनाती है इसकी संगणना पूर्ण छमाही के रूप में की जाएगी, परन्तु यह कि तीन मास या उससे अधिक अवधि को पूर्ण आधा वर्ष के रूप में माना जाएगा । तथापि, अर्हक सेवा की गणना कर्मचारी द्वारा अंशदान भविष्य निधि में अंशदान शुरू करने की तिथि से हिसाब में ली जाएगी ।

(ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 1979 (1979 का अधिनियम 15) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई सेवा ;

(ठ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979, में दिए गए हैं ।

तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर विकल्प देने का अधिकार होगा कि क्या इन नियमों द्वारा शासित किए जाते है या नहीं ।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(1) सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी;

(11) सरकार द्वारा स्वीकृत न किए गए पदों के विरूद्ध नियुक्त किए गए कर्मचारी;

(111) ऐसे कर्मचारी जो मई, 1998, के 11वें दिन से पूर्व स्वीकृत पदों से सेवा निवृत हो गए हैं तथा ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उक्त तिथि से पूर्व अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है सिवाए उनके जिनका विभाग ने स्वीकृत पदों पर अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवाकाल बढ़ दिया है; तथा

(IV) कर्मचारी जो अवकाश अन्तराल व्यवस्था या तदर्थ आधार पर या संविदात्मक आधार पर नियोजित किए गए हैं ।

4. मई 1998, के 11वें दिन से, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक उन कर्मचारियों में से ऐसे जो इन नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प देते हैं वे सरकार को 12/. वार्षिक दर पर ब्याज सहित नियोजक अंश की पूरी राशि जमा करवाने के लिए अपेक्षित होंगे ।

नियोजक के अंश की राशि की वापसी का उत्तरदायित्व। धारा 4 तथा 16

(IV) उसी प्रबन्धन के अधीन सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे एक अथवा इससे अधिक प्राइवेट सम्बद्ध महाविद्यालयों में की गई सेवातथापि अन्य महाविद्यालयों में की गई सेवा पेंशन के लिए गिनी नहीं जाएगी।

अवरोध की माफी। धारा 4 तथा 16

7 कर्मचारी के सेवा अभिलेख में विशेष निदेश के प्रतिकूल न होते हुए, उसी प्रबन्धन के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं की समय अवधि के बीच कोई अवरोध निदेशक के अनुमोदन से माफ किया जा सकता है तथा सेवा निवृत्ति लाभाशों के लिए अर्हक सेवा के रूप समझा जाए ; परन्तु सेवा से त्याग पत्र, पदच्युति, हटाने द्वारा अथवा हड़ताल में भाग लेने के कारण अवरोध माफ नहीं किया जाएगा ।

पेंशन के लिए हकदारी। धारा 4 तथा 16

8. इन नियमों के अधीन कोई कर्मचारी केवल दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद ही पेंशन के लिए हकदार होगा।

अधिवर्षिता पेंशन। धारा 4 तथा 16

9. (1) इन नियमों के अधीन ग्रुप घ कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी, तिथि जिनको वह अटठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अधिवार्षिता पेंशन का हकदार होगा ।

(2) कोई ग्रुप घ कर्मचारी, तिथि जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अधिवार्षिता पेंशन का हकदार होगा ।

(3) पेंशन, अन्तिम दस मास के औसत वेतन के पचास प्रतिशत की दर पर संगणित की जाएगी । पूरी पेंशन के लिए स्वीकार्यता तेतीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर होगी । पेंशन की राशि सेवाकाल द्वारा अवधारित की जानी है । इस प्रयोजन के

की आयु के सम्बन्ध में उसकी सेवा पुस्तिका में यथा अभिलिखित एक विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) आवेदन के साथ, चिकित्सा मामले तथा किये गये उपचार का एक संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जायेगा।

(5) साधारण प्रमाण पत्र , कि अकुशलता वृद्धावस्था या बढती आयु से प्राकृतिक ह्रास के कारण है, किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में पर्याप्त नहीं होगा जिसकी अभिलिखित आयु पचपन वर्ष से कम है।

(6) कर्मचारी, जिसे अशक्त घोषित किया गया है, चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किये जाने की तिथि से ड्यूटी से भारमुक्त कर दिया जाएगा।

प्रतिपूर्ति पेंशन। धारा 4 तथा 16

11. यदि कोई कर्मचारी किसी पूर्णकालिक स्वीकृत पद की समाप्ति के कारण प्रबन्ध समिति द्वारा सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है, तो तब जब तक उसे किसी अन्य पद पर जिसकी शर्तें कम से कम उसके अपने पद के समान समझी जाती है, नियुक्त नहीं कर दिया जाता, उसके पास निम्नलिखित विकल्प होगा:-

(क) प्रतिपूर्ति पेंशन अथवा उपदान लेने का जिसके लिये पहले की गई सेवा के लिये वह हकदार है; अथवा

(ख) उसी प्रबन्ध समिति के अधीन कोई अन्य पद स्वीकार करने का, जिसके लिये वह निर्धारित योग्यतायें पूर्ण करता है यदि नियुक्ति प्रस्ताव किया जाता है तथा उसके द्वारा पूर्ण की गई सेवा को पेंशन के लिये संगणना

(4) कोई कर्मचारी ,प्रबन्ध मंडल को, लिखित रूप में कम से कम तीन मास का नोटिस देने के बाद,उस तिथि को, जिसको वह अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे कर लेता है या आयु के पचास वर्ष प्राप्त कर लेता है या उसके बाद नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी तिथि को सेवा निवृत्त हो सकता है परन्तु निदेशक के विशेष अनुमोदन के सिवाय, निलम्ब.-नाधीन कोई भी कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं होगा।

(5) इन नियमों के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हो रहे किसी कर्मचारी को आनुपातिक पेंशन प्रदान करते हुए , उसके द्वारा वास्तविक रूप से की गई अर्हक सेवा पर अतिरिक्त रूप में पॉच वर्ष का अधिमान दिया जाएगा।तथापि, पॉच वर्ष तक का अभिमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा:-

(क) अधिमान अनुज्ञात करने के बाद कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष की अहर्क सेवा से अधिक नहीं होगी तथा अधिवर्षिता की तिथि से परे नहीं होगी।

(ख) इन नियमों के अधीन बढ़ा दिया गया अधिमान केवल पेंशन तथा उपदान के लिए अर्हक सेवा के अतिरिक्त होगा। यह पेंशन तथा उपदान की सगणना के प्रयोजन के लिए जो कि, सेवा निवृत्ति की तिथि के प्रति निर्देश से सगठित वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर होगी; स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी को वेतन के किसी अप्रयोगमूलक नियतन के लिये हकदार नही बनायेगी।

परिवार

मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के "परिवार" में कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी शामिल होंगे:-

(I) पुरुष कर्मचारियों की दशा में पत्नी/पत्नियां, इसमें न्यायिक रुप से पृथक पत्नी अथवा पत्नियां शामिल हैं ;

(II) महिला कर्मचारी की दशा में पति, इसमें न्यायिक रुप पृथक पति शामिल है;

(III) पुत्र, इसमें सौतेले बालक तथा विधिक रुप दत्तक बालक शामिल है;

(IV) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां;

(V) अठारह वर्ष कह आयु से नीचे के भाई तथा अविवाहित तथा विधवा बहिनें, इसमें सौतले भाई तथा बहिनें शामिल है;

(VI) पिता }इसमें वैयक्तिक दशा में दत्तक
} माता-पिता शामिल है जिनको
(VII)माता} स्वीय विधि दत्तक-ग्रहणी
अनुमति देता है;

(VIII) विवाहित पुत्रियां; तथा

(IX) पूर्वमृत पुत्रों के बालक ।

पारिवारिक पेंशन। धारा 4 तथा 16

15. (I) कर्मचारी से कम एक वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, सम्बध महाविद्यालय के मृतक कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन सभी मामलों में न्यूनतम 1275/- रुपयें (केवल हजारे दो सौ पच्चतर रुपयें) तथा अन्तिम वेतन के अधिकतम 30 प्रतिशत के अधीन रहतें हुए, वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर दी जाएगी ।

लेती अथवा जीविका उपार्जन शुरू करने तक, जो भी पहले हो;

(छ) न्यायिक रूप से पृथक पत्नी अथवा पति।

2. सेवा निवृत्ति के बाद, विवाह पारिवारिक पेंशन के लिये मान्य नहीं होगा।

टिप्पण: बालक पद में कर्मचारी को मरणोत्तर संतान शामिल है।

अध्याय IV

अंशदायी भविष्य-निधि लेखा का अशंदान तथा रख रखाव। धारा 4 तथा 16

16. (1) कर्मचारी मूल वेतन के 10% की दर पर अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किसी दर पर अंशदायी भविष्य निधि के हेतु अशंदान करेगा। तथापि कोई कर्मचारी सरकार द्वारा विहित से उच्चतर दर पर स्वैच्छिक अंशदान कर सकता है। निधि, समय-समय पर निदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में विनियमित की जाएगी।

(2) विद्यमान कर्मचारीयों के लिए अंशदायी भविष्य निधि में परिवर्तन करने की तिथि सरकार द्वारा नियत की जाएगी। प्रबन्ध समिति भी अंशदायी भविष्य-निधि लेखा रखेगी तथा इन कर्मचारीयों के सम्बन्ध में मासिक विवरण निदेशक को भेजेगी।

अंशदायी भविष्य निधि के कर्मचारीयों के हिस्से का अन्तरण। धारा 4 तथा 16

17. (1) विद्यमान कर्मचारी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से प्रबन्ध समिति को लिखित में आवेदन करेंगे कि वे अंशदायी भविष्य-निधि तथा उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित कर्मचारी के हिस्से को, उस तिथि से जिससे वह अंशदायी भविष्य-निधि में अभिदाय करना शुरू करते है, अंशदायी भविष्य-निधि में स्थानान्तरित कर दें। महाविद्यालय का प्राचार्य तथा प्रबन्ध समिति अपेक्षित राशि को अंशदायी

आशय का लिखित में वचन देगा कि उसे ऐसी वसूली या समायोजन से कोई आपत्ति नहीं है।

अध्याय V

पेंशन निधि की स्थापना तथा गठन। धारा 4 तथा 16

18.(1)शीष '0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत लाभांश के लिये अंशदान तथा वसूली-01-सिविल-अंशदान तथा अनुदान -101-राज्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन देना (महाविद्यालय) के अधीन पेंशन निधि के नाम से ज्ञात एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें नियोजक का हिस्सा जमा किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे

(क) इन नियमों के लागू होने की तिथि तक सहायता अनुदान के रूप में दिए गए सरकार के हिस्से सहित नियोजक के हिस्से की राशि अंशदायी भविष्य-निधि लेखे में है;

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उसके बाद अंशदायी भविष्य-निधि अभिदाय किए गए नियोजक के हिस्से का पाचँ प्रतिशत;

(ग) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उससे पहले सम्बद्ध महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में भुगतान की जा रही अंशदायी भविष्य-निधि में सरकार के हिस्से की पचानवें प्रतिशत राशि;

(घ) उपरोक्त विनिर्दिष्ट राशियों पर प्रोदभूत ब्याज की राशि;

अंशदायी भविष्य-निधि में हिस्सा, सहायता अनुदान में से काट लिया जाएगा।

(6) प्रबन्ध मंडल प्रत्येक मास निदेशक को मांग ड्राफ्ट पेश करते हुए आवश्यक विशिष्टियां अर्थात कर्मचारी का नाम, पदनाम, प्रत्येक कर्मचारी के सम्बंध में अंशदान की राशि के तथा कुल जोड़ के ब्यौरे दर्शाते हुए (तीन प्रतियां) संलग्न करेगा।

व्यतिक्रम के मामलों में कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी। धारा 4 तथा 16

(19) प्रबन्ध मंडल द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों में चूक या कार्यान्वयन न करने की दशा में, निदेशक को प्रबन्ध मंडल को देय सहायता अनुदान की राशि में से प्रबन्ध मंडल को देय पाई गई ऐसी किसी राशि की कटौती का अधिकार होगा जो प्रबन्धक को सम्बद्ध महाविद्यालय के सहायता अनुदान को निलम्बित कर सकता है और सरकार के पूर्व अनुमोदन से सहायता अनुदान सूची में से ऐसे महाविद्यालय का नाम भी हटा सकता है।

कार्यान्वयन के लिए कक्ष की स्थापना। धारा 4 तथा 16

20. (1) निदेशक के कार्यालय में एक पृथक पूर्ण कक्ष की स्थापना की जाएगी, जो इन नियमों तथा उपरोक्त निधियों में से संग्रहण तथा वितरण की राशि का भी महाविद्यालयवार पूर्ण लेखा रखेगा तथा प्रत्येक वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में निधियों में बकाया अतिशेष का समाधान करेगा। यह कर्मचारीयों, अभिदान की वसूली,खाता लेखा, बड़ा चिटठा, कर्मचारीयों के लिए लेखा संख्या का आवंटन तथा लाभानुयोगियों की भविष्य-निधि तथा भुगतान अभिलेख इत्यादि का रजिस्टर रखेगा।

(2)महालेखाकार, हरियाणायाणा के कार्यालय में निधियों में जमा तथा विकलन का मासिक मिलान किया जाएगा ताकि इस निधि के लेखों में कोई विसंगतियां न रहें।

खर्च लेखा का शीर्ष धारा 4 तथा 16

24. इन नियमों के अधीन सभी भुगतान '2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभांश-01-सिविल-109- राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाए (महाविद्यालय)'' प्रत्येक सेवा निवृति लाभ के सम्मुख अलग उप शीर्ष अकिंत किया जाये के शीर्ष के अधीन किये जाएगें तथा सम्बन्धित कोषाधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा को भुगतानों का आवश्यक मासिक खाता प्रस्तुत करेगा तथा खज़ाना अनुसूची की एक प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे सहित महाविद्यालय के प्राचार्य को,सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा आगामी मास के 10वें दिन तक भेजी जाएगी।

विकलन व्यय के लेखे का शीर्ष। धारा 4 तथा 16

25. '2071-पेंशन तथा अन्य लाभांश-01-सिविल-109- राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाए (महाविद्यालय)'' प्रत्येक सेवा निवृति लाभ के सम्मुख अलग उप शीर्ष अकिंत किया जाये शीर्ष के अधीन भुगतान की गई राशि महालेखाकार (लेखा परीक्षा तथा हकदारी) के कार्यालय में वास्तविक रूप में विकलित की जायेगी।

खाते का रख - रखाव। धारा 4 तथा 16

26. निदेशक के कार्यालय सहायता प्राप्त महाविद्यालय की पेंशन ब्रांच, ऐसे कर्मचारीयों, जिनके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए है , के पूरे ब्यौरे दर्शाते हुए पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर महाविद्यालयवार रखेगी।

पारिवारिक पेंशन का भुगतान । धारा 4 तथा 16

27. इन नियमों के नियम 15 के अधीन कर्मचारीयों के परिवार को अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन, पेंशन भुगतान आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा विहित प्ररूप में आवेदन पत्र के साथ मृत कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा। सम्बद्ध कोषाधिकारी पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए इन नियमों में दी गई प्रकिया का पालन करेगा।

निधि की स्थिति की समीक्षा के लिए समिति की स्थापना। धारा 4 तथा 16

30. एक समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(I) सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग (II) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग (III) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, तथा (IV) निदेशक। निधि की स्थिति इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठक वर्ष में कर्मचारी से कम एक बार होगी, और इन नियमोंके अधीन यथा अपेक्षित बजट उपबन्ध के लिए सरकार को सिफारिश भी करेगी। शिक्षा सचिव समिति का अध्यक्ष होगा तथा निदेशक इसका पदेन सचिव होगा।

प्राधिकरण जिसका सम्पूर्ण नियन्त्रण होगा। धारा 4 तथा 16

31. निदेशक, निधि का नियन्त्रण तथा सचालन प्रशासित करेगा।

लेखा-संपरीक्षा। धारा 4 तथा 16

32. महालेखाकार (संपरीक्षा) हरियाणा निधि के व्यक्तिगत लेखा संपरीक्षा करेगा।

अध्याय VI

देय राशियों का समायोजन तथा वसूली। धारा 4 तथा 16

33. (1) महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति या प्राचार्य ऐसी तिथि से एक वर्ष पूर्व जिसको वह अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होता है, कर्मचारी के नाम बकाया देय राशियों का निर्धारण करने के लिए कदम उठाएगी।

(2) यथा निर्धारित देय राशियां जिनमें वे देय राशियां शामिल है जो उसके बाद ध्यान में आती है

अनुबन्ध–1

(देखिए नियम 13)

अर्हक सेवा की पूर्ण छमाही अवधियां		सेवा उपादान का पैमाना
1.	1/2	मास की उपलब्धियां
2.	1	मास की उपलब्धियां
3.	1–1/2	मास की उपलब्धियां
4.	2	मास की उपलब्धियां
	2–1/2	मास की उपलब्धियां
	3	मास की उपलब्धियां
	3–1/2	मास की उपलब्धियां
	4	मास की उपलब्धियां
	4–1/2	मास की उपलब्धियां
	4–3/8	मास की उपलब्धियां
	5–1/8	मास की उपलब्धियां
	5–1/2	मास की उपलब्धियां
	5–7/8	मास की उपलब्धियां
	6–1/4	मास की उपलब्धियां
	6–5/8	मास की उपलब्धियां
	7	मास की उपलब्धियां
	7–3/8	मास की उपलब्धियां
	7–3/4	मास की उपलब्धियां
	8–1/9	मास की उपलब्धियां

और.चूंकि प्रबन्धसमिति ------------------------------ने प्रस्तावसख्या--------------- दिनांक -----------द्वारा अंशदायी निधि के बदले में सेवा-निवृत्ति लाभांशों को देने के लिए शर्तों को पूरा करने में. हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य-निधि) नियम, 1999, के उपबन्धों तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो गई है;

और. चूंकि. अंशदायी भविष्य-निधि द्वारा शासित विद्यमान कर्मचारी. अब. हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य-निधि) नियम. 1999. द्वारा शासित किए जाने हैं. अंशदायी भविष्य-निधि का प्रबन्ध समिति का हिस्सा तथा सरकार का हिस्सा अंशदायी भविष्य-निधि को उसको स्वीकार करने की तिथि से उक्त नियमों के लागू होने की तिथि तक उस पर प्रोदभूत लाभ सहित निदेशक को अन्तरित किया जाना है;

और चूंकि प्रबन्ध समिति , हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य-निधि) नियम, 1999, के अधीन निधि में कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य -निधि के रूप

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस विलेख पर क्रमशः उनके हस्ताक्षरों के सामने वर्णित तिथि को, हस्ताक्षर किए हैं:-

राज्यपाल हरियाणा के लिए तथा	प्रबन्धक के लिए तथा
उसकी ओर से	उसकी ओर से
1. हस्ताक्षर----------	1. हस्ताक्षर----------
2. नाम----------	2. नाम----------
3. दिनांक----------	3. दिनांक----------
साक्षी–1	साक्षी–1
हस्ताक्षर----------	हस्ताक्षर----------
नाम----------	नाम----------
दिनांक----------	दिनांक----------
पदनाम----------	पदनाम----------
पता----------	पता----------
साक्षी–2	साक्षी–2
हस्ताक्षर----------	हस्ताक्षर----------
नाम----------	नाम----------
दिनांक----------	दिनांक----------
पदनाम----------	पदनाम----------
पता----------	पता----------

पावती

श्री/श्रीमती----------पदनाम----------

कार्यालय----------के विकल्प तथा वचनबद्धता दिनांक----------प्राप्त किए ।

दिनांक---------- (मोहर तथा बड़े अक्षरों में पूरे नाम सहित)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 31st May,1999

No. G.S.R.53/H.A.15/1979/S.4,5 and 16/99.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 16 and sections 4 and 5 of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act,1979 (Act 15 of 1979), the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the pension and Contributory provident fund of the employees appointed to the affiliated aided colleges ,namely:-

CHAPTER-I

1. (1) These rules may be called the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules,1999. — Short title and commence-ment

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 11th day of May, 1998.

2. In these rules, unless the context otherwise requires;- — Definitions

(a) "aided sanctioned post" means the post for which grant-in-aid is allowed by Higher Education Directorate, Haryana;

(b) 'Act' means the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act 1979(Act 15 of 1979);

(j) "qualifying service" means the service that qualifies for pension under these rules. It shall be reckoned in terms of completed half years, provided that the fraction equal to three months and above shall be treated as completed half year. However, the qualifying service will be taken into account with effect from the date an employee starts contribution towards Contributory Provident Fund;

(k) "Service" means the service rendered under the provisions of the Haryana Affiliated Colleges(Security of Service) Act, 1979 (Act 15 of 1979) and rules made thereunder;

(l) The words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Haryana Affiliated Colleges(Security of Service) Act, 1979 (Act 15 of 1979) .

CHAPTER - II

3. (1) Except as otherwise provided in any rule, and Subject to the condition that the Managing Committee of Aided College, executes an agreement

Application section 4 &16

within a period of three months from the date of publication of these rules in the official Gazette.

(2) These rules shall not apply to,-

(i) the employees appointed on part-time basis against aided sanctioned posts;

(ii) the employees appointed against the posts not sanctioned by the Government;

(iii) the employees who retired from the sanctioned posts before the 11th day of May, 1998 and the employees who attained the age of superannuation before the said date except those who have been given extension by the Department after the age of superannuation on sanctioned posts; and

(iv) the employees employed on a leave-gap arrangement, or on adhoc basis, or on contractual basis.

(ii) In the case of Group D employees;the service rendered uptill the attainment of the age of sixty years and in case of others the service renered uptil the attainment of the age of fifty eight years.

(iii) the leave admissible under the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 1979 and under instructions issued by the Government from time to time, excluding the leave without pay and period of suspension,over-staval of leave not subsequently regularised and period of break in service..

(iv) service rendered in one or more private affiliated colleges, receiving grant-in-aid under the same management. However, service rendered in other colleges will not count for pension.

7. In the absence of specific indication to the contrary in the service record of the employee, an interruption between spells of services rendered by an employee under the same management may be condoned with the approval of Director; and be treated as qualifying service for retirement benefits:

Condonation of interr-uptions section 4 and 16

Provided that the interruption caused by the resignation, dismissal, removal from service or due to

If the pension so calculated for the qualifying service of thirty three years falls short of Rupees 1275/- (One thousand two hundred seventy five rupees only) the same shall be raised to Rs.1275/- (One thousand two hundred seventy five rupees only) in all cases.

10. (1) The employees who are declared physically invalid for service because of bodily or mental infirmity shall be granted invalid pension. — Invalid pension section 4 and 16

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from a Medical Board in which a lady doctor shall also be included as a member thereof whenever any woman employee is to be examined.

(3)No medical certificate of incapacity for Service, shall be granted unless the applicant produces a letter from Director directing him to appear before the Medical Board. The Medical Board shall also be supplied a statement by the Director regarding the age of the applicant as recorded in his service book.

(4)A brief statement of the medical case and that of the treatment undergone shall be appended to the application.

(5)A simple certificate that inefficiency is due to old age

(2) If the management is of the opinion that it is in public interest to retire an employee for reasons to be recorded in writing, it shall have the right by giving the employee concerned, a prior notice, in writing of not less than three months, to retire, him on the date on which he completes twenty years of qualifying service or on any other date thereafter, to be specified in the notice:

Provided that where three months notice is not given or notice for a period less than three months is given, the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of pay and allowances at the same rate at which he was drawing immediately before the date of retirment, for a period of three months or for the period by which such notice falls short of three months, as the case may be.

(3) If the retirment of the employee may under sub rule(2) is set aside by a Court of law, all pecuniary liabilities consequent thereto from the date of compulsory retirment upto the date of his rejoining the post, shall devolve on the Management.

(4) An employee may, after giving at least three months notice in writing to the Management, retire from service on the date on which he

13. Where the qualifying service is less than ten years the amount of service gratuity shall be the appropriate amount as set out in the table annexed at Annexure I and no pension shall be granted to him.

Service gratuity — section 4 and 16

14. An employee who has become eligible for pension under these rules on his retirement from service shall be granted death-cum-retirement gratuity as below:-

Death-cum-retirement gratuity section 4 and 16

(i) In case of Group D employee, 1/4 th of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of seventeen and half times of emoluments;

(ii) in the case of employees other than Group D employees 1/4 th of the emoluments of an employee for each completed six monthly period of the qualifying service, subject to a maximum of sixteen and half times of the emoluments;

(iii) The maximum amount of retirement gratuity shall not exceed Rs. 3.50 Lakh in any case.

(iv) An employee against whom judicial or departmental proceedings have been instituted shall not be permitted gratuity during the pendency of proceedings.

(vi) father } Including adopted
} parents in case
(vii) mother } of individual whose personal law permits adoption;
(viii) married daughters; and

(ix) children of predeceased sons.

15. (1) In case of death of the employee or pensioner with at least one year service, the family pension shall be granted to the family of the deceased employee of the Aided affiliated college at the rate of 30% of pay in all cases subject to minimum of Rs. 1275/- (One thousand two hundred seventy five rupees) and maximum of 30% of last pay. **Family pension section 4 and 16**

(2) In case of death of an employee while in service having more than seven years service or after retirement before attaining the age of 65 years, the amount of family pension would be fixed at double the amount of normal family pension subject to the conditions that such enhanced family pension does not exceed 50% of pay drawn at the time of death or normal pension as the case may be. This benefit will be available for a period of seven years or till the deceased would

(f) sons/unmarried daughters until he/she attains the age of 25 years or starts earning livlihood whichever is earlier;

(g) a judicially separated wife or husband;

(2) Marriage after retirement is not recognised for family pension.

Note: The term "child" includes posthumous child of the employee.

CHAPTER IV

16. (1) The employees shall contribute towards the Contributory Provident Fund at the rate of 10% of the basic pay or any rate prescribed by the Government from time to time. An employee, may however, subscribe voluntarily at higher rate than that prescribed by the Government. The fund shall be regulated in accordance with the procedure as may be specified by the Director from time to time.

(2) The date of switching over for the existing employees to Contributory Provident Fund shall be fixed by the Government. The Managing Committee shall also maintain the Contributory Provident Fund

Subscription and maintenance of contributory provident fund account section 4 and 16

accrued thereon and they (or in case of death of such an employee, his legal heirs) are not in a position to refund the same in cash, may be allowed to adjust the same against the amount of gratuity or arrears of pension that may be admissible to them. In such cases the employer's share of Contributory Provident Fund together with interst accrued thereon shall be refunded with twelve percent interest on the amount actually drawn,calculated from the date of drawal of the said amount to the date of refund or adjustment and if there still remains any due amount it will be adjusted by non-payment of pension till recovery of the total amount is adjusted.

(4) the date of drawal and refund of the amount of employer's share together with interest thereon shall be recorded in the service book and the entry shall be attested after verification by the Director The concerned employee or their legal heirs, as the case may be, shall give an undertaking in writing to the effect that he has no objection to such recovery or adjustment.

(e) any other amount as may be specifically paid by the Government towards this fund;

3. The fund established under these rules that shall not form part of the Consolidated Fund of the State of Haryana yet the Government shall make suitable provision in the annual budget under the Head "2071-Pension and other Retirement Benefits Fund-01-civil-109-Pension to Employees of State Aided Educational Institutions(Colleges)".The Sub-Head be mentioned against each retirement benefits i.e.· 101-Superannuation and Retirement Allowances, 103-Compassionate Allowance, 104-Gratuites and 105 Family Pensions etc.

4. The credit to the fund shall be made as under:-
five percent of the ten percent of the pay of the employee share towards the Contributory provident fund payable by the management shall also be deducted from the grant in aid sanctioned to the private affiliated colleges for crediting the same to the fund so that no amount remains pending for recovery from the management.

5.or the purpose of sub-rule(5) the share of contributory provident fund of the management towards the retirement benefits

Account Number for employees, Contributory Provident Fund and record of payment to beneficiaries etc.

(2) The credit and debit tc the fund shall be reconciled in the office of Accountant General, Haryana monthly so that no discrepancies arise in the accounts of this fund.

21. (1) The amount of the Contributory Provident Fund which becomes due from the Managing Committee on the date of commencement of these rules shall deposited in the Fund immediately, failing which the Managing Committee shall be liable for payment of interest appliable to the Contributory Provident Fund. — Depositing of money in pension section 4 and 16

(2) The amount of interest accrued on the balance amount of the Fund and Contributory Prividnt Fund shall be worked out on yearly basis and shall be communicated to Government for making a suitable provision in the annual budget under this fund.

22. The payment out of Fund under these rules after sanction by the Director shall be made by the concerned Treasury Officer on the basis of Pension Payment Order and the authority letter issued by the Director. — Mode of payment of pension section 4 and 16

25. The amount of payment made under Head "2071-Pension and other retirement benefits-01-Civil-109-Pension to the Employees of State Aided Educational Institutions(Colleges) " under seperate sub-head against each retirement benefit actually debited and reconciled in the office of the Accountant General (Accounts & Entitlement)	Head of account of debit expenditure section 4 and 16
26. The pension Branch(Aided College) of the office of the Director shall maintain college wise pension payment orders register showing therein complete particulars of the employees in whose favour pension payment orders are issued.	Maintenance of account section 4 and 16
27. The family pension admissible under Rule 15 of these rule to the family of the employees shall be specified in the pension payment order and the family pension shall be paid by the concerned Treasury Officer on receipt of death certificate of the deceased employee alongwith an application to be submitted in the prescribed proforma. The concerned Treasury Officer shall comply with the procedure in making payment of family pension and other retirement benefits as envisaged in these rules.	Payment of family pension section 4 and 16

29.	(1) A separate wing in the Department for the implementation of these rules will be established in the office of Director. (2) Maintenance of Accounts regarding Contributory Provident Fund accumulation will also be maintained at the Department level.	Setting up wing for supervision of implementation section 4 and 16
30.	There shall be a committee consisting of:- (i) Secretary to Government of Haryana, Department of Education (ii) Secretary to Government of Haryana, Department of Finance; (iii) The Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana; and (iv) Director. The committee shall meet at least once in a year to review the position of the fund and its implementation and also make recommendations to the Government for Budget provision as required under these rules. The Secretary Education will be the Chairman of the committee and Director will be its Ex-officio Secretary.	Setting up of committee to reviw the position of fund section 4 and 16
31.	The Director shall administer, control and operate the fund.	Authority who will have overall control section 4 and 16
32.	The Accountant General(Audit), Haryana, shall audit the indvidual account of the fund.	Audit of account account section 4 and 16

35.	If any dispute arises between the employee and the Managing Committee relating to the delay in forwarding the pension papers of the employee, the matter shall be referred to the Director for decision whose decision shall be final and binding upon the parties.	**Arbitration section 4 and 16**
36.	If any question or doubt arises as to the interpretation of these rules, Government shall decide the same.	**Interetation of the rules section 4 and 16**

.....